

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 654]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2022—पौष 7, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र.—138 एफ UDH-13/0062/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद राघौगढ- विजयपुर जिला गुना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है—

अनु.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	04	(01) वार्ड क्र0 01, कबीर वार्ड (02) वार्ड क्र0 16, देवी अहिल्या वार्ड (03) वार्ड क्र0 09, डॉ.जाकिर हुसैन वार्ड (04) वार्ड क्र0 24, स्वामी विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(01) वार्ड क्र0 21, महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	06	(01) वार्ड क्र0 10, डॉ. अग्नेडकर वार्ड (02) वार्ड क्र0 02, हनुमान वार्ड (03) वार्ड क्र0 15, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (04) वार्ड क्र0 20, गौतम वार्ड (05) वार्ड क्र0 07, कस्तूरबा वार्ड (06) वार्ड क्र0 17, तात्याटोपे वार्ड

4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(01) वार्ड क्र० 09, डॉ.जाकिर हुसैन वार्ड (02) वार्ड क्र० 16, देवी अहिल्या वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(01) वार्ड क्र० 10, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (02) वार्ड क्र० 15, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (03) वार्ड क्र० 02, हनुमान वार्ड
7.	आरक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	07	(01) वार्ड क्र० 08, जवाहर वार्ड (02) वार्ड क्र० 23, शिवाजी वार्ड (03) वार्ड क्र० 11, राजीव वार्ड (04) वार्ड क्र० 22, महावीर वार्ड (05) वार्ड क्र० 03, भगतसिंह वार्ड (06) वार्ड क्र० 06, किला वार्ड (07) वार्ड क्र० 13, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ UDH-13-0062-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 138 एफ UDH-13-0062-2022-अठारह-3, दिनांक 28 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 28th December 2022

Notification No.- 138 UDH-13/0062/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Palika parishad Raghogarh-Vijaipur District Guna is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	04	(1) Ward No. 01- Kabir Ward (2) Ward No. 16- Devi Ahilliya Ward (3) Ward No. 09 Doctor Jakir Hussen Ward (4) Ward No. 24- Swami Vivekanand Ward

2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 21- Maharana Pratap Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	06	(1) Ward No. 10- Doctor Ambedkar Ward (2) Ward No. 02- Hanuman Ward (3) Ward No. 15- Lal Bahadur Shastri Ward (4) Ward No. 20- Goutam Ward (5) Ward No. 07- Kasturba Ward (6) Ward No. 17- Tatyatope Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	02	(1) Ward No. 09- Doctor Jakir Hussen Ward (2) Ward No. 16- Devi Ahilliya Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	Nil	Nil
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	03	(1) Ward No. 10- Doctor Ambedkar Ward (2) Ward No. 15- Lal Bahadur Shastri Ward (3) Ward No. 02- Hanuman Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	07	(1) Ward No. 08- Jawahar Ward (2) Ward No. 23- Shivaji Ward (3) Ward No. 11- Rajeev Ward (4) Ward No. 22- Mahaveer Ward (5) Ward No. 03- Bhagat Singh Ward (6) Ward No. 06- Kila Ward (7) Ward No. 13- Maharani Laxmi bai Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र.-138 एफ UDH-13/0063/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद औंकारेश्वर जिला खण्डवा के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	वार्ड क्रमांक-01 मार्कण्डेश्वर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	05	वार्ड क्रमांक-05 अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक-10 विनोबा भावे वार्ड वार्ड क्रमांक-13 भगतसिंह वार्ड वार्ड क्रमांक-14 लक्ष्मीबाई वार्ड वार्ड क्रमांक-15 जवाहर वार्ड

3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	01	वार्ड क्रमांक-08 कस्तूरबा वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	वार्ड क्रमांक-14 लक्ष्मीबाई वार्ड वार्ड क्रमांक-15 जवाहर वार्ड वार्ड क्रमांक-05 अम्बेडकर वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	वार्ड क्रमांक- 02 महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक- 03 तिलक वार्ड वार्ड क्रमांक- 06 ममलेश्वर वार्ड वार्ड क्रमांक- 07 ब्रह्मेश्वर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ UDH-13-0063-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 138 एफ UDH-13-0063-2022-अठारह-3, दिनांक 28 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 28th December 2022

Notification No.- 138 F UDH-13/0063/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Parishad Omkareshwar Dist Khandwa** is published as follows-

No.	Reserved ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved wards name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	Ward No.1 Markandeyshwar Ward

2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	05	Ward No.5 Ambedkar Ward Ward No.10 Vinoba Bhave Ward Ward No.13 Bhagat singh Ward Ward No.14 Laxmibai Ward Ward No.15 Jawahar Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	01	Ward No.8 Kasturba Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	03	Ward No.14 Laxmibai Ward Ward No.15 Jawahar Ward Ward No. 5 Ambedkar Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	Nil	Nil
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	Ward No.2 Mahatma Gandhi Ward Ward No.3 Tilak Ward Ward No.6 Mamleshwar Ward Ward No.7 Brahmeshwar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र.-138 एफ UDH-13/0064/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद जैतहरी, जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क0 02, भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क0 04, महात्मा गाँधी वार्ड (2) वार्ड क0 05, सरदार पटेल वाड (3) वार्ड क0 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क0 03, सुभाष चन्द्र वार्ड (2) वार्ड क0 08, अब्दुल हामिद वार्ड (3) वार्ड क0 11, महाराणा प्रताप वार्ड

4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क० 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क० 05, सरदार पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क० 08, अब्दुल हामिद वार्ड (2) वार्ड क० 11, महाराणा प्रताप वार्ड
7.	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क० 07, लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क० 09, लोकमान्य तिलक वार्ड (3) वार्ड क० 10, कस्तूरबा गॉंधी वार्ड (4) वार्ड क० 15, गुरुगोविन्द सिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ UDH-13-0064-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 138 एफ UDH-13-0064-2022-अठारह-3, दिनांक 28 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 28th December 2022

Notification No. 138 UDH-13/0064/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Jaitahari District Anuppur is published as follows-

No.	Reservation ward for Category	Total Ward	Reserved ward's Name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 02- Bhagat singh Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 04- Mahatma gandhi Ward (2) Ward No. 05- Sardar patel Ward (3) Ward No. 14- Chandra shekhar Azad ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	03	(1) Ward No. 03- Subhash chandra Ward (2) Ward No. 08- Abdul hamid Ward (3) Ward No. 11- Maharana pratap Ward

4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	NIL	NIL
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	02	(1) Ward No. 14- Chandra shekhar Azad Ward (2) Ward No. 05- Sardar patel Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	02	(1) Ward No. 08- Abdul hamid Ward (2) Ward No. 11- Maharana pratap Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No. 07- Laxmi bai Ward (2) Ward No.09- Lokmanya Tilak Ward (3) Ward No. 10- Kasturwa Gandhi Ward (4) Ward No. 15- Guru Govind singh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.